झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा
पंचम (बजट)– सत्र
वर्ग– 05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 07 फाल्गुन, 1937 [श0] / 26 फरवरी, 2016 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
62–	अ0सू0– 10	श्री अरूप चटर्जी	विस्थापन पर समुचित कार्रवाई।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	17.02.2016
63–	अ0सू0– 02	श्री बिरंची नारायण	रिविजनल सर्वे एवं नया खतियान बनवाना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	12.02.2016
64–	अ0सू0– 08	श्री दीपक बिरूवा	पूर्व से कार्यरत कर्मियों को प्राथमिकता।	स्वा0 चि0 शि0 एवं परिवार कल्याण	17.02.2016
65–	अ0सू0– 13	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	लेंस उपलब्ध कराना।	स्वा0 चि0 शि0 एवं परिवार कल्याण	22.02.2016
66–	अ0सू0– 07	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	पठन–पाठन प्रारंभ कराना।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	17.02.2016
67–	अ0सू0– 09	श्री आलमगीर आलम	नया मेडिकल कॉलेज खोलना।	स्वा0 चि0 शि0 एवं परिवार कल्याण	17.02.2016
68–	अ0सू0– 03	श्री बिरंची नारायण	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	12.02.2016

(कृ0पृ0उ0)

राँची,	बिनय कुमार सिंह
दिनांक– 26 फरवरी, 2016 (ई0)।	प्रभारी सचिव,
	झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक– संख्या–प्रश्न–07/2015........1453......../वि0स0, रांची, दिनांक– 24/2/16

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के मा0 सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 24/2/16

(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

ज्ञापांक– संख्या–प्रश्न–07/2015........1453......../वि0स0, रांची, दिनांक– 24/2/16

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 24/2/16

उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञापांक– संख्या–प्रश्न–07/2015........1453......../वि0स0, रांची, दिनांक– 24/2/16

प्रतिः– कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 24/2/16

उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

सुभाष

(62)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.02.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 10 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के निरसा प्रखण्ड अन्तर्गत माड़मा ग्राम एक सघन जनसंख्या बहुल ग्राम है, जो कोयला उत्खनन क्षेत्र के नजदीक होने के कारण भूमिगत आग से प्रभावित क्षेत्र है तथा भूधसान के कारण घर जमींदोज हो रहे है।	लखीमाता कोलियरी अन्तर्गत बंद पड़े बी0पी0 सीम खुली खदान के किनारे से माड़मा ग्राम एक सौ मीटर की दूरी पर अवस्थित है। लगभग 70 परिवार निवास करते है। बी0पी0 सीम खुली खदान का किनारा अग्नि प्रभावित है, जिससे माड़मा ग्राम को खतरा है। डी0जी0एम0एस0 के आदेशानुसार आग को कंट्रोल करने के लिए भराई का कार्य किया गया है, लेकिन अभी अग्नि पूर्णतः शामिल नहीं हुआ है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार माड़मा ग्राम के जनसंख्या बहुल क्षेत्र के विस्थापन सम्बन्धी विषयों पर आवश्यक हस्तक्षेप कर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस समस्या को पूर्णतः निर्मुल करने हेतु माड़मा ग्राम को विस्थापित करके बी0पी0 सीम खुली खदान को पुनः शुरू करने की योजना बनाकर ई0सी0एल0 मुख्यालय भेजा गया है। अभी माड़मा ग्राम को जे0आर0डी0ए0 के अन्तर्गत संग्रहित करने हेतु डी0जी0एम0एस0 के द्वारा अनुशंसा किया गया है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–8बी0/भू0अ0नि0वि0स0 (अ0सू0) –35/16 124 (8बी0)/रा0 दिनांक– 24-02-16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1097/वि0स0, दिनांक–17.02.16 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/16

सरकार के अवर सचिव

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.02.2016 को पूछा ~~जाने~~ 63 वाला अल्पसूचित

प्रश्न संख्या– 02 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में वर्ष–1932 ई० के बाद से अब तक केवल 6 बंदोबस्त कार्यालयों यथा राँची धनबाद, पलामू, दुमका, जमशेदपुर और हजारीबाग में पड़ने वाले जिलों के अंतर्गत अंचलों को छोड़कर शेष अन्य जिलों में रिविजनल सर्वे का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है और न ही उक्त 6 जिलों को छोड़ अन्य जिलो में अधिकार अभिलेख (खतियान) एवं भू–मानचित्र के निर्माण कार्य ही प्रारंभ हो पाया है ?	बन्दोबस्त कार्यालयों के माध्यम से परिक्षेत्राधीन जिलो का रिवीजनल सर्वे की कार्रवाई की जा रही है। जामताड़ा जिला तथा धनबाद जिला के तोपचांची अंचल में रिविजनल सर्वे कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
2	क्या यह बात सही है कि बोकारो, सिमडेगा, गुमला, गिरिडीह इत्यादि जिलों में 1932 ई० के बाद नये अधिकार अभिलेख (खतियान) एवं भू–मानचित्र का निर्माण नहीं होने से अनेकों भूमि विवाद के मामले सामने आये है ?	<table><tr><th>क्र०सं०</th><th>जिला का नाम</th><th>अंचल का नाम</th><th>अंतिम प्रकाशन के पश्चात अधिसूचना निर्गत कुल राजस्व ग्रामों की संख्या</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>1</td><td>बोकारो</td><td>चास</td><td>68</td></tr><tr><td></td><td></td><td>चंदनक्यारी</td><td>65</td></tr><tr><td>2</td><td>गुमला</td><td>डुमरी</td><td>115</td></tr><tr><td></td><td></td><td>भरनो</td><td>69</td></tr><tr><td></td><td></td><td>चैनपुर</td><td>85</td></tr><tr><td></td><td></td><td>विशुनपुर</td><td>66</td></tr><tr><td>3</td><td>सिमडेगा</td><td>–</td><td>–</td></tr><tr><td>4</td><td>गिरीडिह</td><td>–</td><td>–</td></tr></table> सिमडेगा जिला के 164 राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन हो चुका है। गिरीडीह जिला में 936 राजस्व ग्रामों में खानापूरी का कार्य पूर्ण हो चुका है।
3	क्या यह बात सही है कि नियमानुसार अधिकार अभिलेख (खतियान) के अंतिम प्रकाशन की तिथि 15 वर्षो की कालावधि की समाप्ति के बाद रिसर्वे (पुनरीक्षण सर्वे) का कार्य कराये जाने का प्रावधान है, परन्तु 1932 ई० से अब तक यह कार्य उक्त 6 जिलों को छोड़ अन्य जिलों में लंबित है ?	झारखण्ड राज्य में 1932 ई० के बाद छः बंदोबस्त कार्यालयों द्वारा रिविजनल सर्वे का कार्य किया जा रहा है तथा नये खतियान का निर्माण भी हो रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमीनों का नियमानुसार रिविजनल सर्वे करवा कर नये खतियान और ग्राम मानचित्र बनवाने का विचार रखती यदि, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राज्य में स्थापित छः बंदोबस्त कार्यालयों द्वारा जिलों में रिसर्वे (रिविजनल सर्वे) का कार्य चल रहा है। खतियान एवं भू–मानचित्र भी तैयार हो रहे है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः–2 / भू0अ0परि0निदे0–13 / 16 96/G-a दिनांक– 18-02-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–714 वि0स0, दिनांक–12.02.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

18/02/2016

सरकार के उप सचिव

64

श्री दीपक बिरूवा, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 26.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या स–08 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 10/2015 द्वारा संयुक्त पारामेडिकल स्टाफ प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन निकाला गया ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1379 (MD) दिनांक 05.02.2016 द्वारा राज्य में अनुबंध में पूर्व से कार्यरत ए0एन0एम0/जी0एन0एम0 कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत संबंधित पदों पर नियुक्तियों में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है ;	योग्य एन0एच0एम0 (National Health Mission) अनुबंध कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संबंधित पदों पर नियुक्तियाँ में प्राथमिकता (Weightage) देने संबंधित नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है।
3.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त प्रतियोगिता परीक्षा में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1379 के आलोक में प्राथमिकता देने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त नीतिगत निर्णय के आलोक में नियमावली में संशोधन प्रक्रियाधीन है। संशोधित नियमावली के आलोक में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 21/वि0 स0–06–24/2016 49(21) राँची, दिनांक: 25.02.16

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1099/वि0स0 दिनांक 17.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/16

सरकार के उप सचिव

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0– अ0सू0 13 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ताः– श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाताः– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय मंत्री, स्वा0 चि0 शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि रिम्स में गरीब मरीजों से नेत्र विभाग के चिकित्सक द्वारा प्रत्येक मरीज से लेंस की कीमत 4550/– रूपये राशि ली जा रही है, जिसकी वास्तविक मूल्य 450/– रूपये प्रति लेंस है जिससे राज्य के गरीब मरीजों का आर्थिक शोषण हो रहा है ;	अस्वीकारात्मक। पूर्व में ईलाजरत मरीजों, जिनको लेंस लगाने की आवश्यकता होती थी, उन्हें लेंस क्रय कर खुद लाने की सलाह दी जाती थी। रिम्स द्वारा इसके लिये मरीजों से राशि नहीं ली जाती है।
2. क्या यह बात सही है कि रिम्स प्रबंधक द्वारा उक्त मरीजों को लेंस उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं होने के बावजूद एक नेत्र चिकित्सक महीने में करीब 96 लेंस उक्त मरीजों को लगाकर अवैध कमाई कर रहें है ;	अस्वीकारात्मक। नेत्र विभाग में दो यूनिट है, जिसमें 07 चिकित्सक हैं। सभी चिकित्सकों द्वारा मरीजों को लेंस लगाया जाता है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में रिम्स में गरीब मरीजों को मुफ्त में लेंस उपलब्ध कराते हुए खण्ड–1 में वर्णित व्यवस्था को बन्द करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में रिम्स द्वारा मरीजों को निःशुल्क लेंस उपलब्ध कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–11/ रिम्स (वि0स0)–05–03/2016 - 41 (11) स्वा0/राँची/दिनांकः– 25/2/16
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 1308 दिनांक 22.02.16 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/2016
सरकार के उप सचिव।

Bhagat/Vidhansabha/1

66

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 26.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–07 का निदेशालय , नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) का उत्तर सामग्री –

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय सदस्य, विधान सभा	उत्तरदाता श्री राज पालिवार माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड, सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमण्डल मुख्यालय में आई0 टी0 आई0 का भवन 2008–09 से ही बनकर तैयार है',	उत्तर – स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है खण्ड 1 में वर्णित हुसैनाबाद में आई0 टी0 आई0 का पठन–पाठन प्रारम्भ नहीं किया गया है',	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड 1 में वर्णित हुसैनाबाद के निर्मित आई0 टी0 आई0 भवन में पाठन–पाठन प्रारम्भ कराना चाहती है, यदि हॉ, तो कब तक, नही तो क्यों?	राज्य के अन्तर्गत निर्मित आई0टी0आई0 के भवन को संचालित करने के लिए मंत्री परिषद् के निर्णय के आलोक में पी0पी0पी0 के अन्तर्गत संचालित करने हेतु निविदा प्रकाशित किया गया था परन्तु निविदाकर्त्ता द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त आई0 टी0 आई0 को सी0एस0आर0 (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जायेगा।

24/02/2016

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,

ज्ञापांक – 5 / प्रशि0 (वि0स0)–20 / 2016 289 रॉची, दिनांक 24/02/2016

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान– सभा को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1098 दिनांक 17.02.16 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/02/2016

सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

67

श्री आलमगीर आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 09 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य गठन के बाद 15 वर्षों में एक भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं खोला जा रहा है;		स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य के संथालपरगना क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं हैं;		स्वीकारात्मक ।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संथालपरगना क्षेत्र के साहेबगंज जिला में नया मेडिकल कॉजेज खोलने का विचार रखती है यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत संथाल परगना क्षेत्र के अन्तर्गत दुमका में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । वर्त्तमान में साहेबगंज में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 42/16– 206(6) स्वा0, राँची, दिनांकः 24.02.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 1100/वि0स0, दिनांक 17.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/2016
उप सचिव ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

माननीय स.वि.स. श्री बिरंची नारायण द्वारा दिनांक 26.02.2016 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ0सू0 – 03 का उत्तर सामग्री

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रश्नकर्त्ता
माननीय स.वि.स. श्री बिरंची नारायण</th><th>उत्तरदाता
श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना राज्य के सभी जिलो में प्रारम्भ की गयी है ?</td><td>स्वीकारात्मक।
झारखण्ड राज्य के युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु "सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना" का पायलट चरण, राज्य के सभी जिले में प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित Common Norms के अनुरूप NSQF (National Skill Qualification Framework) आधारित रोजगारपरक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है, कि इस योजना में अब तक एक भी बैच के लाभार्थियों का प्रशिक्षण पूरा नहीं हो सका है तथा कई जिलों में अब तक प्रशिक्षण प्रारम्भ भी नहीं हो सका है ?</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
"सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना" के पायलट चरण में प्रशिक्षण सेवा प्रदान करने हेतु चयनित प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो निम्नवत है –
<table>
<tr><th>प्रशिक्षण सेवा प्रदाता</th><th>जिला</th><th>लाभुकों की संख्या</th></tr>
<tr><td>ILFS Skills Development Corp. Ltd.</td><td>राँची</td><td>140</td></tr>
<tr><td>TeamLease Services Pvt. Ltd.</td><td>राँची</td><td>160</td></tr>
<tr><td>Datapro Computers Pvt. Ltd.</td><td>पलामू
गुमला</td><td>90
90</td></tr>
<tr><td>Pragmatic Educational Society</td><td>दुमका</td><td>75</td></tr>
<tr><td>Prayas JAC</td><td>राँची
गुमला</td><td>75
75</td></tr>
<tr><td>ACE Experiences Asia Pvt. Ltd.</td><td>राँची</td><td>75</td></tr>
</table>
इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में भी प्रशिक्षण कार्य शुरू करने की कार्रवाई की जा रही है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या यह बात सही है कि इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य से बाहर की एजेंसियों का चयन किया गया है, जिसके कारण स्थानीय संस्थाओं की उपेक्षा हुई है ?</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
"सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना" के पायलट चरण में प्रशिक्षण सेवा प्रदान करने के लिए एजेंसियों का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित Common Norms के अनुरूप विहित प्रक्रिया के तहत किया गया है। इसी क्रम में उक्त योजना के पायलट चरण में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भारत सरकार के Common Norms पर आधारित NSDC (National Skill Development Corporation)/ SSC (Sector Skill Council) से संबद्धता प्राप्त राज्य के बाहर की एजेंसियों के साथ–साथ एक स्थानीय एजेंसी जनसेवा परिषद्, हजारीबाग का भी चयन किया गया है।</td></tr>
</table>

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस मामले की स्वतंत्र जांच कराकर दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उत्तर कण्डिका–3 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक : झा0कौ0वि0मि0/वि0स0 (अ0सू0)–261/2016– 208 राँची/दिनांक 25/02/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 711 वि0स0 दिनांक 12.02.2016 के अनुपालन में (200 प्रतियों में)/अवर सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग (सरकार पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/02/2016

(अलखदेव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव
श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
झारखण्ड, राँची